भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3970

जिसका उत्तर 12 अगस्त, 2026 को दिया जाना है।

21 श्रावण, 1948 (शक)

एआई का विनियमन और दुरुपयोग

3970. डॉ. मोहम्मद जावेदः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) के विकास और उपयोग को विनियमित करने के लिए एक कानूनी ढांचा अधिनियमित किया है अथवा अधिनियमित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को धोखाधड़ी, प्रतिरूपण, डीपफेक, गलत सूचना और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए सोशल मीडिया पर एआई के दुरुपयोग की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सूचित किए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर एआई के दुरुपयोग की निगरानी करने और इसका पता लगाने और रोकथाम के लिए मध्यवर्तियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य एआई से जुड़े जोखिमों का समाधान करते हुए युवाओं के लिए आर्थिक अवसर और रोजगार पैदा करना है।

भारत की एआई रणनीति 300 बिलियन डॉलर के वार्षिक राजस्व और 60 लाख मजबूत कार्यबल के साथ भारत के जीवंत आईटी क्षेत्र पर आधारित है। इंडियाएआई मिशन में सात स्तंभ हैं जिनमें एआई मॉडल, एप्लिकेशन, डेटासेट का विकास, प्रतिभा विकास और किफायती गणना शामिल है।

इंडिया एआई गवर्नेंस दिशानिर्देश 5 नवंबर 2025 को जारी किए गए थे, जो देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, जिम्मेदार और समावेशी विकास और तैनाती के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करते हैं।

दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, निम्नलिखित संस्थागत तंत्र शुरू किए गए हैं:

- एआई गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप (एआईजीईजी), भारत की राष्ट्रीय एआई शासन रणनीति के विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी निकाय;
- तकनीकी और नीतिगत सिफारिशों का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी और नीति विशेषज्ञ समिति (टीपीईसी); तथा
- सुरक्षा अनुसंधान करने, मानकों को विकसित करने, एआई सिस्टम का परीक्षण करने और उभरते जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिएएआई सुरक्षा संस्थान (एआईएसआई) ।

सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता के लिए, सरकार डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित करने वाले

कानूनी और नियामक ढांचे से संबंधित मामलों में परामर्शदात्मक दृष्टिकोण अपनाती है और तकनीकी विकास और सार्वजनिक हित के आलोक में साइबरस्पेस में उभरते मुद्दों से संबंधित कानूनी, नीतिगत और संस्थागत ढांचे की जांच करने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ नियमित रूप से जुड़ती है।

यदि आवश्यक समझा जाता है तो किसी भी विधायी या विनियामक उपायों पर सरकार की मौजूदा नीति और स्थापित विधायी प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा संचालित डीपफेक से उत्पन्न खतरों के प्रति सचेत है, जिसमें सिंथेटिक ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट शामिल हैं। उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह साइबर स्पेस सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने निम्नलिखित कानून और नियम बनाए हैं जो डीपफेक चुनौती के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करते हैं:

<u>सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम")</u>

- धारा 43 में कंप्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम आदि को हुए नुकसान के लिए जुर्माना और मुआवजा निर्धारित किया गया है।
- धारा 66 कंप्यूटर से संबंधित अपराधों के लिए सजा निर्धारित करती है;
- पहचान की चोरी (धारा 66ग), प्रतिरूपण (धारा 66घ), गोपनीयता उल्लंघन (धारा 66ड.), अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री प्रकाशित करना या प्रसारित करना (धारा 67, 67क) जैसे अपराधों को शामिल करता है
- विशिष्ट जानकारी/लिंक तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए मध्यवर्तियों को अवरोधक आदेश जारी करने का प्रावधान (धारा 69क)
- गैरकानूनी कार्य करने के लिए उपयोग की जा रही जानकारी को हटाने के लिए मध्यवर्तियों को नोटिस जारी करने का प्रावधान (धारा 79)
- इसके अलावा, अधिनियम पुलिस को अपराधों (धारा 78 और 80) की जांच करने का अधिकार भी देता है।

<u>भारतीय न्याय संहिता,2023 ("बीएनएस")</u>

- धारा 319 में प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी के लिए सजा निर्धारित की गई है;
- धारा 336 जालसाजी के लिए सजा निर्धारित करती है (इसमें किसी भी पक्ष की प्रतिष्ठा को धोखा देने या नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना शामिल है)।
- धारा 353 का उद्देश्य झूठे या भ्रामक बयान, अफवाहें या रिपोर्ट बनाने के कार्य को दंडित करके गलत सूचना और दुष्प्रचार के प्रसार को रोकना है जो सार्वजनिक शरारत या भय पैदा कर सकते हैं।
- डीपफेक कंटेंट से जुड़े संगठित साइबर अपराधों पर भी धारा 111 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

<u>सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम")</u>

आईटी नियम मध्यवर्तियों पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उचित सावधानी बरतने के लिए विशिष्ट दायित्व डालते हैं और मध्यवर्तीकंप्यूटर संसाधनों के उपयोगकर्ताओं को सूचित करेंगे कि वे किसी भी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, अपडेट या साझा न करें जो:

- किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित है और जिस पर उपयोगकर्ता का कोई अधिकार नहीं है;
- अश्लील, पोर्नोग्राफ़िक है, गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली, या नफरत अथवा हिंसा को बढ़ावा देती है;
- बच्चों को नुकसान पहुंचाती है;
- किसी भी मालिकाना अधिकारों का उल्लंघन करती है;
- संदेश की उत्पत्ति के बारे में प्राप्तकर्ता को गुमराह या धोखा देती है;
- जानबूझकर और जानबूझकर किसी भी गलत सूचना का संचार करता है; स्पष्ट रूप से गलत और असत्य जानकारी या भ्रामक जानकारी;

- एआई सहित दूसरों का प्रतिरूपण करती है;
- राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है;
- किसी भी लागू कानून का उल्लंघन करती है।

मध्यवर्तियों को सेवा की शर्तों और उपयोगकर्ता समझौतों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को गैरकानूनी सामग्री साझा करने के परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए, जिसमें सामग्री हटाने, खाता निलंबन या समाप्ति शामिल है।

भारत में 50 लाख या उससे अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता आधार (एसएसएमआई) वाले सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को निम्नलिखित अतिरिक्त दायित्वों का पालन करना आवश्यक है:

- मैसेजिंग सेवाओं की पेशकश करने वाले एसएसएमआई को कानून प्रवर्तन को गंभीर या संवेदनशील सामग्री के प्रवर्तकों का पता लगाने में मदद करनी चाहिए।
- गैरकानूनी सामग्री के प्रसार का पता लगाने और सीमित करने के लिए स्वचालित उपकरणों का उपयोग करना।
- अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना, स्थानीय अधिकारियों को नियुक्त करना तथा अनुपालन और कानून प्रवर्तन समन्वय के लिए भारत में आधारित भौतिक पते साझा करना।
- स्वत: कार्रवाई करने से पहले स्वैच्छिक उपयोगकर्ता सत्यापन, आंतरिक अपील और निष्पक्ष सुनवाई की पेशकश करना।

<u>शिकायत निवारण तंत्र:</u>

मध्यवर्तियों को शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का समाधान करने की आवश्यकता होती है। यदि मध्यवर्तियों के शिकायत अधिकारियों द्वारा उपयोगकर्ता की शिकायतों का समाधान नहीं किया जाता है, तो वे https://www.gac.gov.in पर ऑनलाइन अपील कर सकते हैं। जीएसी सामग्री मॉडरेशन निर्णयों से जुड़े फैसलों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं।

पुलिस में दर्ज शिकायतों की जांच संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) द्वारा संगत सांविधिक ढांचे के तहत की जाती है। चूंकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, इसलिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं।

<u>हाल के संशोधन:</u>

10 फरवरी, 2026 को, सरकार ने डीपफेक और एआई-जनित सामग्री सहित कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी (एसजीआई) से उत्पन्न होने वाले नुकसान को दूर करने के लिए आईटी नियमों में संशोधन करके नियामक ढांचे को मजबूत किया।

संशोधन से संबंधित मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: -

- मध्यवर्तियों को अनुमेय एआई-जनित सामग्री के लिए स्पष्ट लेबलिंग और पता लगाने योग्य मेटाडेटा सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है, ताकि उपयोगकर्ता आसानी से कृत्रिम रूप से उत्पन्न सामग्री की पहचान कर सकें और धोखे या दुरुपयोग को रोक सकें।

- यह उपयोगकर्ता की जवाबदेही और प्लेटफॉर्म के सम्यक सावधानी से जुड़े दायित्वों को और मजबूत करता है, जिसमें गैरकानूनी एआई-जनित सामग्री के कानूनी परिणामों के बारे में अनिवार्य उपयोगकर्ता जागरूकता और सोशल मीडिया मध्यवर्तियों के लिए मजबूत अनुपालन दायित्व शामिल हैं।

- महत्वपूर्ण रूप से, दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से बाल यौन शोषण सामग्री, गैर-सहमति वाली अंतरंग इमेजरी, प्रतिरूपण और अन्य हानिकारक एआई-जनित सामग्री को कवर करते हैं, जिससे प्लेटफार्मों को ऐसी सामग्री को रोकने और पता चलने पर त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है।

- अनुपालन के लिए समय-सीमा को मजबूत करना, जिसमें शामिल हैं: उचित सरकारी या अदालती आदेशों से मिली सही और ठोस सूचना के आधार पर गैर-कानूनी जानकारी को हटाने की समय-सीमा कम करना (समय-सीमा 36 घंटे से घटाकर 3 घंटे की गई) और शिकायतों के समाधान की समय-सीमा कम करना (इसमें नग्नता/किसी और का रूप धरने जैसी खास श्रेणियां शामिल हैं) (समय-सीमा 72 घंटे से घटाकर 36 घंटे और संवेदनशील मामलों के लिए 24 घंटे से घटाकर 2 घंटे की गई)।

- मध्यस्थ स्वचालित उपकरण या अन्य उपयुक्त तंत्र सहित उचित और उचित तकनीकी उपायों को लागू करने के लिए बाध्य हैं, ताकि किसी भी उपयोगकर्ता को किसी भी कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी बनाने, उत्पन्न करने, संशोधित करने, बदलने, प्रकाशित, संचारित, साझा करने या प्रसारित करने की अनुमति न दी जा सके, जैसा भी मामला हो, किसी भी कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी जो उस समय लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करती है।

- आईटी नियमों के तहत , 'सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज' (एसएसएमआई) के लिए ज़रूरी है कि वे ऐसी जानकारी की पहचान करने के लिए उचित तकनीकी उपाय (जैसे ऑटोमेटेड टूल्स या अन्य सही तरीके) अपनाएं, जो रेप, बच्चों के यौन शोषण या उससे जुड़े किसी भी तरह के काम या सिमुलेशन (चाहे वह साफ़ तौर पर हो या इशारों में) को दिखाती हो, या ऐसी जानकारी जो पहले हटाई जा चुकी जानकारी से बिल्कुल मिलती-जुलती हो।

आईटी नियमों में प्रावधानित कानूनी दायित्वों का पालन करने में मध्यवर्तियों की विफलता के मामले में, वे आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत प्रदान की गई तीसरे पक्ष की जानकारी से अपनी छूट खो देते हैं। वे किसी भी मौजूदा कानून के तहत प्रदान की गई परिणामी कार्रवाई या अभियोजन के लिए उत्तरदायी हैं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। तदनुसार, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) साइबर अपराध की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय (एमएचए) के माध्यम से, साइबर अपराध प्रबंधन और प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए नीतिगत मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण सहायता और वित्तीय संसाधन प्रदान करके राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा करती है। गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए एक संलग्न कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (I4C) की स्थापना की है।

'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआरपी) (https://cybercrime.gov.in) को I4C के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है, ताकि जनता को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाया जा सके। इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उसके बाद की कार्रवाई को कानून के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑनलाइन साइबर शिकायतें दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' शुरू किया गया है।

I4C के तहत 'सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम' (सीएफसीएफआरएमएस) को वर्ष 2021 में वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए लॉन्च किया गया है
